रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 356] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 1981/कार्तिक 14, 1903
No. 356] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 1981/KARTIKA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1981

सा॰ का॰ नि॰ 577 (अ) —केन्द्रीय सरकार, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 68 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात यह अधिसूचित करती है कि बोर्ड अवक्षयण के लिए ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित सिद्धांतो के अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात् :—

1. बोर्ड द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना —बोर्ड अवक्षयण के लिए प्रति वर्ष ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो अवक्षयण की सीधी रेखा पद्धति के अनुसार संगणित की जाती है, अर्थात् ऐसी राशि जो आस्तियों की बाबत विहित अवधि में, बोर्ड की बहियों में रखी ही बट्टे खाते डाले और अपास्त कर दी गई राशि का हिसाब में लेने के पश्चात् आस्तियों की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत को विभाजित करके आती है

परन्तु अवक्षयण के लिए किसी आस्ति की बाबत अभिदाय, विहित अवधि की समाप्ति पर या जब आस्ति बोर्ड द्वारा प्रयुक्त नहीं होती है, इनमे से जो भी पूर्वतर हो, समाप्त हो जाएगा।

2 अवक्षयण के सिद्धांतो के लागू होने की अवधि —ये सिद्धांत क्रमश. अप्रैल, 1980 व 1981 के पहले दिन से आरम्भ होने वाले और मार्च, 1981 तथा 1982 के 31 वे दिन को समाप्त होने वाले लेखा वर्षों के अवक्षयण के प्रभारण को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में, "विहित अवधि" से—

(क) किसी ऐसी आस्ति के संबंध मे, जो बोर्ड को अपने कारबार में अपने उपयोग के लिए विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1966 (1966 का 30) के प्रारंभ से पूर्व उपलब्ध हुई है, वे वर्ष जिसमे से उतने वर्ष घटा दिए गए हैं, जिनके दौरान ऐसी आस्ति प्रयुक्त की गई है या प्रयुक्त की जा सकती थी, इस अधिसूचना की अनुसूची मे यथा परिनिश्चित वर्षों की वह संख्या अभिप्रेत है ऐसे वर्षों की संगणना, उस वर्ष के जिसमें वह आस्ति बोर्ड का इस प्रकार उपलब्ध हुई थी ठीक अगले वर्ष के प्रारंभ से और ऐसे प्रारम्भ को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले वर्ष की समाप्ति तक की जायेगी।

(ख) अन्य किसी आस्ति के संबंध मे, उक्त अनुसूची मे विनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या या अवधि, अभिप्रेत है।

अनुसूची

आस्ति का वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि
1	2
(क) पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि	अनन्त काल
(ख) पट्टे के अधीन धारित भूमि—	
(क) भूमि में विनिधान के लिए	पट्टे की अवधि, या पट्टे के नवीकरण पर शेष अनवसित अवधि।
(ख) स्थल की सफाई करने की लागत के लिए	स्थल की सफाई करने की तारीख को पट्टे की शेष अनवसित अवधि।

1	2
(ग) नई क्रय की गई आस्तियां :—	
(क) जनन केन्द्रों में संयंत्र और मशीनरी, जिसके अन्तर्गत संयंत्र आधार भी है .	
(i) जल-विद्युत	पैंतीस
(ii) वाष्प-विद्युत	पच्चीस
(iii) डीजल-विद्युत	पन्द्रह
(ख) शीतलन टावर और परिसंचारीजल पद्धति	तीस
(ग) द्रवचालित संकर्म जो जल विद्युत पद्धति का भाग हैं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :—	
(i) बांध अधिस्तर मार्ग, बंधिकाएं और नहरें, प्रबलित कंक्रीट अवनालिकाएं और दाबनालिकाएं	एक सौ
(ii) प्रबलित कंक्रीट पाइपलाइनें और महोर्मि टैंक, इस्पात पाइप लाइनें, स्लूइस द्वारा इस्पात महोर्मि टैंक, द्रवचालित नियंत्रण वाल्व और अन्य द्रवचालित संकर्म	चालीस
(घ) स्थाई प्रकृति के भवन और सिविल इंजीनियरी संकर्म, जो ऊपर उल्लिखित नहीं किए गए हैं :—	
(i) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष	पचास
(ii) जिसमें ताप-विद्युत जनन संयंत्र है	तीस
(iii) जिसमें जल-विद्युत जनन संयंत्र है	पैंतीस
(iv) अस्थाई निर्माण जैसे काष्ठ संरचनाएं	पांच
(v) कच्चे मार्गों से भिन्न मार्ग	एक सौ
(vi) अन्य	पचास
(ङ) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कियोस्क, उप-स्टेशन उपस्कर और अन्य नियत साधित्र (जिसके अंतर्गत संयंत्र आधार भी हैं) :—	
(i) 100 किलोवाट एम्पियर और उससे अधिक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर जिसके अंतर्गत आधार भी हैं)	पैंतीस
(ii) अन्य	पच्चीस
(च) स्विचगियर, जिसके अन्तर्गत केबल कनेक्शन भी है	बीस
(छ) तड़ित प्रगाही—	
(i) स्टेशन टाइप	बीस
(ii) पोल टाइप	पन्द्रह
(iii) तुल्यकाली संधारित्र	पैंतीस
(ज) बैट्रियां	दस
(झ) (i) भूमिगत केबलें जिनके अंतर्संधि बाक्स और विनियोजन बाक्स भी हैं।	चालीस
(ii) केबल डक्ट प्रणाली	साठ
(ञ) ऊपरली लाइनें, जिनके अंतर्गत टैंक भी हैं—	
(i) 66 किलोवाट से उच्चतर नामीय वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाले संविरचित इस्पात टैंकों पर लाइनें।	पैंतीस
(ii) 13.2 किलोवाट से उच्चतर किंतु 66 किलोवाट से अनधिक नामीय वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाली इस्पात टैंकों पर लाइनें।	तीस
(iii) इस्पात या प्रबलित कंक्रीट टैंकों पर लाइनें।	पच्चीस
(iv) अभिक्रियित काष्ठ टैंकों पर लाइनें	बीस
(ट) मीटर	पन्द्रह
(ठ) स्वनोदित यान	सात
(ड) स्थैतिक मशीन औजार	बीस
(ढ) वातानुकूल संयंत्र—	
(i) स्थैतिक	पन्द्रह
(ii) सुवाह्य	सात
(ण) (i) कार्यालय फर्नीचर और फिटींग	बीस
(ii) कार्यालय उपस्कर	दस
(iii) आंतरिक तार लगान, जिसके अन्तर्गत फिटिंग और साधित्र भी हैं	पन्द्रह
(iv) सड़क प्रकाश फिटिंग	पन्द्रह
(त) भाड़े पर दिए गए साधित्र—	
(i) मोटरों से भिन्न	सात
(ii) मोटरें	बीस
(थ) संचार उपस्कर—	
(i) रेडियो तथा उच्च आवृति वाहक पद्धति	पन्द्रह
(ii) टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	बीस
(द) पूर्व-प्रयुक्त, क्रय की गई आस्तियां और ऐसी आस्तियां, जिनके लिए इस अनुसूची में अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है ।	ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो राज्य सरकार स्वामी द्वारा आस्तियों के अर्जन के समय उनके स्वरूप, काल सयम और दशा को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले में अवधारित करे ।

एस० रमेश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 1981

G.S.R. 577(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 68 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) the Central Government, after consultation with the Authority, hereby notifies that the Board shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the following principles, namely:—

1. Providing of depreciation by Board.—The Board shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the straight line method of depreciation, that is to say, such an amount as is arrived at by dividing ninety per cent of the original cost of the assets, after taking into account the sum already written off and set-aside in the books of the Board, by the prescribed period in respect of such assets:

Provided that the contribution in respect of any asset to depreciation shall cease at the end of the prescribed period or such the asset ceases to be used by the Board, whichever is earlier

2. Period of application of the principles of depreciation.—These principles shall apply to the charging of depreciation for the accounting years commencing on the 1st day of April, 1980-1981 and ending on the 31st March, 1981 and 1982 respectively.

Explanation:—In this notification, "prescribed period" means—

(a) in relation to an asset which became available to the Board for its use in its business before the commencement of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1966 (30 of 1966), means the number of years as defined in the Schedule to this notification reduced by the number of years during which such asset was used or capable of being used, such years being computed from the beginning of the year next following that in which that asset became so available to the Board and upto the end of the year ending on or after such commencement.

(b) In relation to any other asset, the number of years or period specified in the said Schedule.

SCHEDULE

Description of asset	Number of years or period
1	2
A. Land owned under full title	Infinity.
B. Land held under lease—	
(a) for investment in the land	The period of the lease, or the period remaining unexmaining unexpired on the assignment of the lease.
(b) for cost of clearing site	The period of the lease remaining unexpired at the date of clearing the site
C. Assets purchased new—	
(a) Plant and machinery in generating stations, including plant foundations—	
(i) hydro-electric.	Thirty-five.
(ii) Steam-Electric.	Twenty-five.
(iii) diesel-electric.	Fifteen.
(b) Cooling towers and circulating water systems.	Thirty.
(c) Hydraulic works forming part of a hydroelectric system, including—	
(i) dams, spilways, weirs, canals reinforced concrete flumes and syphons.	One hundred
(ii) reinforced concrete pipe-lines and surge tanks, steel pipe-lines, sluice gates, steel surge tanks, hydraulic control valves and other hydraulic works.	Forty.
(d) Buildings and civil engineering works of a permanent character, not Mentioned above—	
(i) Offices and showrooms.	Fifty.
(ii) containing thermo-electric generating plant.	Thirty.
(iii) containing hydro-electric generating plant.	Thirty-five.
(iv) temporary erection such as wooden structures.	Five.
(v) roads other than kuccha roads.	One hundred
(vi) others.	Fifty.
(e) Transformers, transformer kiosks sub-station equipment and other fixed apparatus (including plant foundations)—	
(i) transformers (incuding foundations) having a rating of 100 kilovolt amperes and over.	Thirty five.
(ii) Others.	Twenty-five.
(f) Switchgear, including cable connections.	Twenty.
(ff) Lightning arrestors—	
(i) Station type.	Twenty.
(ii) Pole type.	Fifteen.
(iii) synchronous condensers.	Thirty-five.
(g) Batteries	Ten.
(h) (1) Underground cables including joint boxes and disconnecting boxes.	Forty.
(2) Cable duct system.	Sixty.
(i) Overhead lines, including supports—	
(i) lines on fabricated steel supports operating at nominal voltages higher than 66 kilovolts.	Thirty-five.
(ii) lines on steel supports operating at nominal voltages, higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts.	Thirty.
(iii) lines on steel or reinforced concrete supports.	Twenty-five.
(iv) lines on treated wood supports	Twenty.
(j) Meters.	Fifteen.
(k) self-propelled vehicles.	Seven
(l) Static machine tools.	Twenty.
(m) Air-conditions plant-	
(i) Static.	Fifteen.
(ii) Portable.	Seven.
(n) (i) Office furniture and fittings.	Twenty.
(ii) Office equipment.	Ten.
(iii) internal wiring including fittings and apparatus.	Fifteen.
(iv) street-light fittings.	Fifteen.

1	2
(o) Apparatus let on hire—	
(i) other than motors.	Seven.
(ii) motors.	Twenty.
(p) Communication equipment.	
(i) Radio and high frequency carrier system.	Fifteen.
(ii) Telephone lines and telephones.	Twenty.
D. Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in this Schedule.	Such reasonable period as the State Government determines in each case having regard to the nature, age and condition of the asset at the time of its acquisition by the owner.

S. RAMESH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981